राजस्व अपील संख्या 96/2025

तारीख हुक्म	नोनजी उर्फ नेनाराम बनाम शंभूसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2026	पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 08.01.2026 को वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार मूलवाद पत्र में राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः विवाद का निस्तारण हो चुका है, साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अवमानना प्रार्थना पत्र में आरोप/विवाद्यक विरचित किए बिना तथा उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को एक माह की अवधि के सिविल कारावास में निरूद्ध किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो अवमानना प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन किये बिना एवं प्रार्थी द्वारा अपने आरोपो को साक्ष्य से साबित किए बिना, एवं गैर सायल को अपनी प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टियोग्य नहीं है। साथ ही उभयपक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार मूल वादपत्र मे राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है अतः अपील अपीलांट बखुबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 08/2025 बउनवान शंभु सिंह बनाम नोनजी उर्फ नेनाराम में पारित आदेश दिनांक 11.09.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण से संबधित गिरफ्तारी वारंट इसी अनुरूप निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखित दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	